enforcement of fiscal discipline and keeping the aggregate liquidity in the system under control.

दिल्ली प्रशासन के अधीन आई०टी० आई० सुपरवाइजरों को पेंशन

@3003. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**
श्री कैलाश पति मिश्र :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 दिसम्बर, 1984 की इस आशय की सरकारी घोषणा के बाद भी कि "अगर किसी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के दो महीने के भीतर पेंशन और ग्रेच्यूटी का पैसा नहीं मिलता है, तो यह रकम दोषी अधिकारी के पास से ब्याज सहित दिलवाई जायेगी" दिल्ली प्रशासन के अधीन आई०टी०आई० के सेवा निवृत्त सुपरवाइजरों को पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैय्या) : (क) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा भारत सरकार के अनुदेशों का अनुसरण किया जा रहा है।

तथापि एक पर्यवेक्षक अनुदेशक, श्री प्रकाश चन्दर, जो 30-4-85 को सेवा-निवृत्त हुये थे, के एक विशेष मामले में देरी हुई थी क्योंकि 28-5-85 को आवेदक ने दिल्ली प्रशासन, दिल्ली वित्त (बजट) विभाग के पत्र सं० एफ 14/2/85-वित्त "बी" दिनांक 9-5-85 के अनुसार पेंशन नियमों में प्रत्याशित संशोधन को ध्यान में रखते हुये, लाभों को आस्थगित करने के लिये कहा था। तथापि, वेतन तथा लेखा अधिकारी को समय से पूर्व अर्थात 25-3-85 को पेंशन संबंधी कागजात प्रस्तुत कर दिये गये थे।

उनकी सेवा-निवृत्ति के फलस्वरूप उन्हें निम्नानुसार लाभ दिये गये है.

4-11 85 को पेंशन, 6-11-85 को उपदान, 23-7-85 को छुट्टी के बदले में नकद भुगतान, 23-7 85 और 26-11-85 को ग्रुप बीमा योजनायें।

(ख) उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुये दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्त : अतारांकित प्रश्न 2496, 12 मई, 1985 से स्थानान्तरित।

Financial assistance to states during the sixth five year plan period

3004. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether according to Gadgil formula of disburesement of Plan assistance to the States, 70 per cent of this assistance is treated as loans for which the States pay interest;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) what is the rate of this interest; and

(d) what amount has been realised as interest State-wise during the Sixth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Central assistance to Himachal Pradesh Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim and Tripura is released on the basis of 10 per cent loan and 90 per cent grant. Assistance to the remaining 16 States is provided in the form of 70 per cent loan and 30 per cent grant except the Hill Area portion of these States. Out of the Central assistance to these remaining 16 States the proportionate Central asistance for the State Plan component of the Hill area outdays in Assam, Jammu & Kashmir, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal is relaeased in the form of 10 per cent loan and 90 per cent grant. Central assistance for special hill area sub-plan is released in the form of 10 per cent loan and 90 per cent grant